

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,


निदेशक,
आई0सी0डी0एस0,
उत्तराखण्ड देहरादून।

महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास अनुभाग, देहरादून: दिनांक 10 दिसम्बर, 2017
विषय:-बाल विकास परियोजना, हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल के नये कार्यालय भवन
किराया स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-1976/भ0कि0 हल्द्वानी ग्रा0-4468/
2017-18, दिनांक 12 अक्टूबर, 2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि
जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र
संख्या-6343/15-ए0जे0ए0/2016-17 (किराया औचित्य) दिनांक 21 जुलाई, 2017 के
अनुसार (कार्यालय भवन का कुल कारपेट एरिया 1069.50 वर्ग फीट) का नवीन किराया
₹10.00 प्रतिवर्ग फिट प्रतिमाह की दर से 31 जुलाई, 2017 से स्वीकृत करते हुए उक्त
भवन का कुल मासिक किराया ₹10695/- (₹ दस हजार छः सौ पिच्चान्चे मात्र) प्रतिमाह
भुगतान करने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति
प्रदान करते हैं:-

1. उक्त किराया भवन दिये जाने से पूर्व शासनादेश संख्या-ए-2/970/10-96-
24(7)95 दिनांक 28.06.1996 एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या
562/XVII(7)/2010, दिनांक 24.05.2010 में विद्यमान वित्तीय नियमों एवं वित्तीय
अधिकारों के प्रतिनिधायन में समय-समय पर निर्धारित सुसंगत शर्तों एवं प्रतिबन्धों
का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्त किराया भवन कार्यालय से स्थाई भवन निर्माण प्रपत्र 30 एस.फार्म./
अनुबन्ध पत्र में दी गयी अवधि तक मान्य रहेगा, यह अवधि कम से कम पाँच वर्ष
की होगी। भवन स्वामी से यह प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर लिया जाए कि अब
किराये वृद्धि में कोई आवेदन पत्र मान्य नहीं होगा। तदनुसार निर्धारित
प्रक्रिया/शर्तों/नियमों के अंतर्गत अनुबन्ध कर लिया जाए। साथ ही इसके
न्यूनतम किराये पर भवन प्राप्त करने हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल
द्वारा प्रयास किये जायेंगे।
3. श्री अशोक सिंह, पुत्र स्व0 महेन्द्र सिंह, नियर नारायण, नगर इण्टर कालेज,
बिठौरिया न0-1 विकास नगर फेज-॥ कुसमखेड़ा, हल्द्वानी से 05 वर्ष का अनुबंध
निर्धारित प्रपत्र 30 एच पर अनिवार्य रूप से प्राप्त कर लिया जाए।
4. उक्त भवन किराया जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाल विकास, नैनीताल द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तावानुसार स्वीकृत किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का
अनुपालन नहीं किया जाता है, तो इसके दिये सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से
उत्तरदायी होंगे।



5. उक्त किराया व्यय निर्धारित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों से ही वहन किया जाएगा।

भवदीया,


(राधा रतूड़ी)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 2160 (1)/XVII(4)/2017-5(87)/2017, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय बिल्डिंग, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, नैनीताल।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/उप कोषाधिकारी, हल्द्वानी, नैनीताल।
4. वित्त अनुभाग-1/5, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिला कार्यक्रम अधिकारी, नैनीताल।
6. बाल विकास परियोजना अधिकारी, हल्द्वानी ग्रामीण, नैनीताल।
7. श्री अशोक सिंह, पुत्र स्व० महेन्द्र सिंह, नियर नारायण नगर इण्टर कालेज, बिठौरिया न०-1 विकास नगर फेज-॥ कुसमखेड़ा, हल्द्वानी।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से


(लक्ष्मण सिंह)
सयुक्त सचिव।